DISTRICT JUDGE (ENTRY LEVEL) MAIN WRITTEN EXAM-2023

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

कुल प्रश्नों की संख्या : 04
Total No. of Questions : 04

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 16
No. of Printed Pages : 16

Fourth Paper
चतुर्थ प्रश्न–पत्र
JUDGMENT WRITING
निर्णय लेखन

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case there is any variance either printing or of a factual nature, out of the Hindi and English versions of the question, the English version will be treated as standard.

   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। किसी प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक भिन्नता होने की दशा में, अंग्रेजी रूपांतर को मानक माना जायेगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book / Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.

   उत्तर पुस्तिका/अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक या किसी भी रूप में पहचान का कोई चिन्ह अथवा कोई भी क्रमांक या नाम या चिन्ह अंकित करना, जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग किया/ पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or illegible in view of Valuer then the valuation of such Answer Book may not be considered.

   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

SETTLEMENT OF ISSUES

Q.1 Frame the issues on the basis of the pleadings given hereunder - 10 Marks

PLAINTIFF'S PLEADINGS -

The Plaintiffs are workers at A B C Private Ltd. Company Dewas. The Plaintiffs' allegation is that the M.P. Housing Board has allotted 62 LIG Houses to the workers of the Company including the Plaintiffs on 24-12-1985 under the hire purchase scheme and since then the Plaintiffs are residing in the suit houses and 10% amount is being deducted from their wages towards the installment. The hire purchase scheme was for 15 years, but the Company is continue to deduct the amount even thereafter and by exercising undue influence, the Company has got the agreements executed from the Plaintiffs showing the allotment of the suit houses in favour of the Company and effecting the title of the Plaintiffs. Company has got the sale deed dated 11-10-2004 executed from the Board in favour of the Company in respect of the sale of 62 houses. Hence, the Plaintiffs have claimed that they be declared the title holder on the basis of the hire purchase scheme and also prayed for declaring agreement and the sale deed as null and void and prayed for a mandatory injunction to the Company and the Board to execute the sale deed of the suit houses in favour of the Plaintiffs and prayed for permanent injunction restraining the defendant from interfering in possession and use of the suit houses by the Plaintiffs.

DEFENDANT'S PLEADINGS -

The A B C Private Ltd. Company Dewas by filing the written statement has denied the plaint averments and has taken the plea that the Company is the owner of the suit houses and the suit houses were allotted to the Plaintiffs Workmen for their residence during the course of employment, therefore, as and when they have left the employment, the houses were vacated and were allotted to other Workmen and those employees who have not vacated the houses

after their retirement, against them penal action is also taken which has been maintained till the Supreme Court. It is also pleaded that earlier dispute in respect of the penalty amount has arisen between the Company and the Board and the Writ Petition was filed and thereafter the sale deed has been executed in favour of the Company and as per the agreement, the amount has been deducted from the wages of the Plaintiffs towards the use of the houses.

निम्नांकित अभिवचन के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये।

वादीगण के अभिवचन –

वादीगण क ख ग प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी देवास में कर्मकार हैं। वादीगण का अभिकथन है कि मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने वादीगण सहित कम्पनी के कर्मकारों को 62 एलआईजी मकानों का आवंटन भाड़ा क्रय योजना के अन्तर्गत 24.12.1985 को किया और तब से ही वादीगण वाद भवनों में निवास कर रहे हैं और उनके वेतन से 10 प्रतिशत राशि किश्तों के रूप में काटी जा रही है। भाड़ा क्रय योजना 15 वर्ष की अवधि के लिए थी, किन्तु कम्पनी द्वारा उसके उपरान्त भी निरन्तर राशि की कटौती की जा रही है और असम्यक प्रभाव का उपयोग करते हुये कम्पनी ने वादग्रस्त भवनों का आवंटन कंपनी के पक्ष में होना दर्शाने वाला करार वादीगण से निष्पादित करवा लिया है और वादीगण के स्वत्व को प्रभावित करते हुये बोर्ड से कम्पनी के पक्ष में 62 मकानों के विक्रय के संबंध में 11.10.2004 को विक्रय पत्र निष्पादित करा लिया है। अतः वादीगण ने दावा किया कि उन्हें भाड़ा क्रय योजना के आधार पर स्वत्वधारी घोषित किया जाए और साथ ही करार एवं विक्रय पत्र शून्य एवं निष्प्रभावी किये जाने की घोषणा और कम्पनी तथा बोर्ड को वादीगण के पक्ष में वादग्रस्त भवनों का विक्रय पत्र निष्पादित किये जाने का आज्ञापक व्यादेश जारी करने और प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त मकानों पर वादीगण के आधिपत्य और उपयोग में हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु स्थायी व्यादेश का अनुतोष चाहा है।

प्रतिवादी के अभिवचन –

क ख ग प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी देवास ने लिखित कथन प्रस्तुत करते हुये वादपत्र के अभिकथनों से इन्कार किया और अभिवाक लिया कि वादग्रस्त भवनों की कम्पनी ही स्वामी है और वादग्रस्त भवन मजदूरों के नियोजन के दौरान निवास हेतु वादीगण मजदूरों को आवंटित किये गये थे। इसलिये जब और जैसे ही उन्होंने नियोजन से अपने को पृथक किया तो उनके द्वारा मकानों को रिक्त कर दिया गया

और मकान अन्य मजदूरों को आवंटित कर दिये गये तथा जिन कर्मचारियों ने सेवा निवृत्ति के उपरान्त भी भवनों को रिक्त नहीं किया उनके विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही भी की गई, जो उच्चतम न्यायालय तक बरकरार रही। यह भी अभिवचन लिया गया कि पूर्व में शास्ति की राशि के संबंध में कम्पनी और बोर्ड के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ तथा याचिका संस्थित की गई थी और तत्पश्चात् कम्पनी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित हुआ और करार के अनुसार भवनों के उपयोग के बदले वादीगण के वेतन से राशि की कटौती की गई।

FRAMING OF CHARGES

Q.2 Frame a charge/charges on the basis of facts given here under - 10 Marks

PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS -

The case of the prosecution in brief is as follows that the complainant Bijendra Mehto is a resident of village Rampur police station Raghopur district Aurangabad. The accused are people of the same village and they have a dispute with the complainant regarding land. On the midnight of 01.01.2006, the deceased complainant was sleeping with his wife and two children in the room of his house. He woke up at 1 o'clock in the night when he heard the sound of many people walking. He saw in the moderate light of the night that they were equipped with deadly weapons like axe, farsa, etc. Among those people, accused Jagat Rai (A1) was already known to the complainant and apart from him, 10-11 other persons had entered inside his house. Before the complainant could run away, accused Jagat Rai and two or three other persons caught hold of him and threw him on the ground. The other three-four accused climbed on top of him. At the same time, accused Jagat Rai (A1) instructed the people accompanying him to surround the entire house from all sides and pour kerosene oil on it. The accused closed the door of the room in which the complainant's wife and children were sleeping and the accused set the house on fire. After this, the accused poured kerosene oil on the body of the complainant and accused Jagat Rai (A1) lit fire on the complainant with a matchstick. When the flames

started rising, the accused started running away from there. At the same time the complainant also tried to run away, but could not succeed. He started shouting, hearing his voice his four brothers and other family members, who lived in the adjacent house, got up and reached the spot and saw the accused running away. By then the complainant's house was burning and the complainant's wife got burnt in the fire. The complainant was taken to the district hospital, where he died within 10 hours of the incident.

अभियोजन का प्रकरण/अभिकथन –

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी बिजेन्द्र मेहतो ग्राम रामपुर पुलिस थाना राघोपुर जिला औरंगाबाद का एक निवासी है। आरोपीगण उसी के गॉव के लोग हैं और उनका फरियादी से जमीन को लेकर विवाद है। दिनॉक 01.01.2006 की मध्य रात को, मृतक फरियादी अपने घर के कमरे में अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ सो रहा था। रात्रि के 1 बजे कई लोगों के चलने की आवाज सुनने पर वह जाग गया। उसने रात्रि की मध्यम रोशनी में देखा कि वह लोग कुल्हाड़ी, फर्सा आदि घातक हथियार से सुसज्जित थे। उन लोगों में से आरोपी जगत राय (ए1) को फरियादी पहले से पहचानता था, उसके अलावा 10–11 अन्य व्यक्ति उसके घर के अंदर घुस आये। इसके पहले कि फरियादी भाग पाता, आरोपी जगत राय व अन्य दो या तीन व्यक्तियों ने उसे पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। अन्य तीन–चार आरोपी उसके उपर चढ़ गये। इसी समय आरोपी जगत राय (ए1) ने अपने साथ आये लोगों को पूरा घर चारों तरफ से घेर लेने का तथा उस पर मिट्टी का तेल डालने का निर्देश दिया। आरोपीगण द्वारा उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, जिसमें फरियादी की पत्नी और बच्चे सो रहे थे और आरोपीगण ने उस घर में आग लगा दी। इसके पश्चात् आरोपीगण ने फरियादी के शरीर पर मिट्टी का तेल डाल दिया और आरोपी जगतराय (ए1) ने फरियादी को माचिस की तीली से आग लगा दी। जब आग की लपटें बढ़ने लगी तब आरोपीगण वहॉ से भागने लगे। उसी समय फरियादी ने भी भागने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। उसने चिल्लाना शुरू किया, उसकी आवाज सुनकर उसके 4 भाई और घर के अन्य सदस्य, जो कि बगल के घर में रहते थे, उठ गये और घटनास्थल पर पहुँचे और उन्होंने आरोपीगण को भागते देखा। तब तक फरियादी का घर जल रहा था और आग में फरियादी की पत्नी झुलस गई थी। फरियादी को जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहॉ पर उसकी मृत्यु घटना के 10 घंटे के अंदर हो गयी।

JUDGMENT WRITING (CIVIL)

Q.3 Write a judgment on the basis of pleadings and evidence given hereunder after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law/Acts :- - 40 Marks

01. **Plaintiff's Pleadings** :- Plaintiff has filed this suit for declaration of title and possession and partition regarding agriculture land bearing khasra no. 201, 202 and 203 area 1.4 hectare, 0.5 hectare and 2.1 hectare total 4 hectare respectively situated at village Sultanpur claiming title and possession of half share in suit property.

02. As per plaintiff's case, defendant no. 1 is her real brother, late Tejlaal, late Surjabai and late Sitaram were their father, mother and grandfather respectively. They had died in the year of 1995, 1998 and 1990 respectively. Both parties are governed by Mitakshara school of Hindu Law. Late Sitaram was the original owner of suit land. Suit land is coparcenary property. Plaintiff and defendant have joint ownership and possession over suit land.

03. She is legal heir of late Tejlaal and is entitled to get half share in suit land. After the death of her father, in revenue records name of defendant was recorded with connivance of revenue authority without giving information to her. When she came to know about this mutation, she filed Revenue appeal no. 20/2003 before Sub-Divisional Officer which has been allowed and name of defendant has been deleted from revenue record.

04. Market value of suit property is more than two crores. Suit is within limitation. Sufficient court fee has been paid. Defendant is trying to dispossess her. Plaintiff has prayed to grant decree of declaration of title, possession and partition to the extent of 1/2 share in her favour.

05. **<u>Defendant's Pleadings</u> :-** Defendant has filed written statement and denied all material facts averred by plaintiff. As per his case, he is in possession over suit land before the death of his father. Marriage of plaintiff performed in the year 1996, since then she is living with her husband in village Khurd. Due to death of father he had incurred the expenditure of marriage and education of plaintiff, a lot of money was given to plaintiff in her marriage. He had also given financial assistance to husband of plaintiff, in lieu of these plaintiff has relinquished her right in his favour.

06. Thereupon, his name was recorded in revenue record with the consent of plaintiff vide order dated 14.04.2002 passed in mutation panji number 30/2002. Sub-Divisional Officer has allowed time barred appeal. Against the order of Sub-Divisional Officer defendant has filed appeal which is pending before Additional Commissioner.

07. Defendant admitted that suit land is ancestral property, late Sitaram was the owner of the property and plaintiff is his sister. Valuation and jurisdiction of court has not been challenged.

08. **Plaintiff's Evidence** :- Statements of plaintiff (PW-1), Rajkishore (PW-2), Roshan (PW-3) and Divakar Singh (PW-4) were recorded on behalf of plaintiff.

09. Rajkishore (PW-2), Roshan (PW-3) and Divakar Singh (PW-4) are family members of father of plaintiff. They have deposed that plaintiff (PW-1) is daughter of Tejlaal and Sitaram was her grandfather and partition never took place between parties.

10. Plaintiff (PW-1) has filed khasra of the year 1970-71 to 1973-74 (Ex.P.-1), khasra of the year 1989-90 to 1993-94 (Ex.P.-2), khasra of the year 1996-97 (Ex.P.-3) and order of Sub-Divisional Officer (Ex.P.-4) passed in appeal. Sitaram's name was initially recorded in these khasras, after his death Tejlal's name was entered. As per these khasra entries after the death of Sitaram, name of Tejlaal was recorded in revenue record. Sitaram was the original owner of suit land. By order of Sub-Divisional Officer, name of defendant was deleted.

11. **Defendant's Evidence** :- Defendant (D.W.-1) examined himself, and produced Veer Singh (D.W.-2), Rajsingh (D.W.-3) and Munna Singh (D.W.-4), who have stated that defendant spent money on the marriage of plaintiff and her education. He also gave money to Plaintiff's husband. Plaintiff is living with husband, she has relinquished her right in favour of defendant. Name of defendant was recorded in revenue record with the consent of plaintiff. Plaintiff executed relinquishment (Ex. D-2) in their presence. Defendant is in exclusive possession of suit land.

12. Defendant has produced khasra of the year 2000-2001 to 2004-05 (Ex. D-1), unregistered deed of relinquishment (Ex. D-2) and mutation panji (Ex. D-3) with ordersheets (Ex. D-4) and (Ex. D-5). As per khasra entry and mutation panji name of defendant was recorded in revenue record.

13. **Arguments of Plaintiff :-** Suit land is ancestral property of both parties. She has inherited Suit land from her father. Under section 6 of Hindu Succession Act, 1955, she has half share in property. Mutation does not create right in favour of a person.

14. **Arguments of Defendant :-** Mutation order was passed in favour of defendant with consent of plaintiff. She has executed deed of relinquishment (Ex. D-2) in favor of defendant. Sub-Divisional Officer allowed time barred appeal. Plaintiff has no right in suit land. Father of parties had died before coming into effect of the Amendment Act. Therefore title would not be created if favour of plaintiff in coparcenary property.

निम्नलिखित अभिवचनों एवं साक्ष्य के आधार पर साक्ष्य की विवेचना करते हुए निर्णय, विवाद्यक विरचित करने के पश्चात् संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखकर लिखिये –

1. **वादी के अभिवचन** :– वादी ने हक तथा कब्जे की घोषणा और विभाजन का यह वाद ग्राम सुलतानपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 201, 202 और 203 क्षेत्रफल क्रमशः 1.4 हेक्टेयर, 0.5 हेक्टेयर और 2.1 हेक्टेयर कुल 4 हेक्टेयर के संबंध में वाद भूमि के आधे भाग पर हक एवं कब्जे का दावा करते हुए प्रस्तुत किया है।

2. वादी के मामले के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 1 उसका सगा भाई है, स्वर्गीय तेजलाल, स्वर्गीय सूरजा बाई एवं स्वर्गीय सीताराम उसके क्रमशः पिता, माता एवं पितामह थे। उनकी मृत्यु क्रमशः सन् 1995, 1998 एवं 1990 में हुई थी। उभयपक्ष हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से प्रशासित होते हैं। स्वर्गीय सीताराम

वादभूमि का मूल स्वामी था। वादभूमि सहदायिकी संपत्ति है। वादी एवं प्रतिवादी वादभूमि पर संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य रखते हैं।

3. वह स्वर्गीय तेजलाल की विधिक उत्तराधिकारी है और वादग्रस्त भूमि में आधा भाग प्राप्त करने की अधिकारी है। उसके पिता की मृत्यु के बाद, राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी का नाम राजस्व अधिकारियों की दुरभिसंधी से उसे सूचना दिए बिना अभिलिखित कर दिया गया। जब उसे इस नामांतरण की जानकारी हुई, उसने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष राजस्व अपील नंबर 20/2023 फाइल की जिसे स्वीकार किया गया और प्रतिवादी का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित किया जा चुका है।

4. वादग्रस्त भूमि का बाजार मूल्य दो करोड़ रूपए से अधिक है। वाद परिसीमा में है। पर्याप्त न्यायशुल्क का संदाय किया गया है। प्रतिवादी उसे बेदखल करने का प्रयत्न कर रहा है। वादी ने हक एवं आधिपत्य की घोषणा तथा 1/2 भाग के संबंध में विभाजन की डिक्री अपने पक्ष में पारित किए जाने की प्रार्थना की है।

5. **<u>प्रतिवादी के अभिवचन</u>** :– प्रतिवादी ने लिखित कथन फाईल किया और वादी द्वारा अभिकथित सभी तात्विक तथ्यों को अस्वीकार किया। उसके मामले के अनुसार, वह पिता की मृत्यु के पहले से ही वाद भूमि पर काबिज है। वादी का विवाह सन 1996 में सम्पन्न हुआ था, तब से वह अपने पति के साथ ग्राम खुर्द में रह रही है। पिता की मृत्यू होने के कारण उसने वादी के विवाह एवं शिक्षा पर हुये खर्च का वहन किया था, वादी को विवाह में भी काफी धन दिया गया था। उसने वादी के पति को भी आर्थिक सहयोग किया था, इन सब के बदले में वादी ने उसका अधिकार उसके पक्ष में त्याग दिया था।

6. इसके बाद उसका नाम वादी की सहमति से नामांतरण पंजी क्रमांक 30/2002 में पारित आदेश दिनाँक 14.02.2002 द्वारा राजस्व अभिलेख में अभिलिखित किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय बाधित अपील स्वीकार की थी। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी ने अपील फाईल की है जो अतिरिक्त आयुक्त के यहाँ लंबित है।

7. प्रतिवादी ने स्वीकार किया है कि वाद भूमि पैतृक संपत्ति है, स्वर्गीय सीताराम इसके मूल भूमि स्वामी थे और वादी उसकी बहन है। वाद के मूल्यांकन एवं न्यायालय के क्षेत्राधिकार को चुनौती नहीं दी गई है।

8. **<u>वादी की साक्ष्य</u>** :– वादी (वा.सा.–1), राजकिशोर (वा.सा.–2), रोशन (वा.सा. –3) और दिवाकर सिंह (वा.सा.–4) के कथन वादी की ओर से अभिलिखित किये गये थे।

9. राजकिशोर (वा.सा.–2), रोशन (वा.सा.–3) और दिवाकर सिंह (वा.सा.–4) वादी के पिता के परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने वादी (वा.सा.–1) का तेजलाल की पुत्री एवं सीताराम का उसका पितामाह होने एवं पक्षकारों के मध्य कभी भी बंटवारा नहीं होने की साक्ष्य दी है।

10. वादी (वा.सा.–1) ने खसरा वर्ष 1970–71 से 1973–74 (प्र.पी.–1), खसरा वर्ष 1989–90 से 1993–94 (प्र.पी.–2), खसरा वर्ष 1996–97 (प्र.पी.–3) और अनुविभागीय अधिकारी का अपील में पारित आदेश (प्र.पी.–4) प्रस्तुत किया है। इन खसरों में प्रारम्भ में सीताराम का नाम अभिलिखित था उसकी मृत्यु के बाद तेजलाल का नाम लिखा गया था। इन खसरों प्रविष्टियों के अनुसार सीताराम की मृत्यु के पश्चात तेजलाल का नाम राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित किया गया था। सीताराम वादभूमि का मूल भूमि स्वामी था। अनुवभिागीय अधिकारी के आदेश द्वारा प्रतिवादी का नाम विलोपित किया गया था।

11. **<u>प्रतिवादी की साक्ष्य</u>** :– प्रतिवादी (प्रति. सा.–1) ने स्वयं का परीक्षण कराया है और वीर सिंह (प्रति. सा.–2), राज सिंह (प्रति. सा.–3) और मुन्ना सिंह (प्रति. सा.–4) को प्रस्तुत किया है, जिनके द्वारा यह बताया गया है कि प्रतिवादी ने वादी के विवाह एवं शिक्षा पर धनराशि व्यय की थी। उसने वादी के पति को भी धन दिया था। वादी उसके पति के साथ निवासरत है, उसने प्रतिवादी के हित में अपने अधिकार का अभित्याग कर दिया है। प्रतिवादी का नाम राजस्व अभिलेख में वादी की सहमति से लेख किया गया था। वादी ने उनके समक्ष अभित्याग विलेख (प्र.डी.–2) निष्पादित किया था। प्रतिवादी वाद भूमि के अनन्य आधिपत्य में है।

12. प्रतिवादी ने खसरा वर्ष 2000–2001 से वर्ष 2004–05 (प्र.डी.–1), अपंजीकृत अभित्याग विलेख (प्र.डी.–2) एवं नामांतरण पंजी (प्र.डी.–3), सहित आदेश पत्रिकाएँ (प्र.डी.–4) और (प्र.डी.–5) प्रस्तुत की है। खसरा प्रविष्टि एवं नामांतरण पंजी के अनुसार प्रतिवादी का नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित किया गया था।

13. **<u>तर्क वादी</u>** :– वाद भूमि उभयपक्षों की पैतृक संपत्ति है। उसने वाद भूमि को अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त किया था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1955 की धारा 6 के अनुसार उसका सम्पत्ति में आधा भाग है। नामान्तरण किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार सृजित नहीं करता है।

14. **<u>तर्क प्रतिवादी</u>** :– प्रतिवादी के पक्ष में नामांतरण आदेश वादी की सहमति से पारित किया गया था। वादी ने अभित्याग विलेख (प्र.डी.–2) उसके पक्ष में निष्पादित की थी। अनुविभागीय अधिकारी ने समय बाधित अपील मंजूर की है। वादी वाद भूमि में कोई अधिकार नहीं रखती है। पक्षकारों के पिता की संशोधन

अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व ही मृत्यु हो गई थी। इस कारण वादी के पक्ष में सहदायिक संपत्ति में हक उत्पन्न नहीं होगा।

JUDGMENT WRITING (CRIMINAL)

Q.4 Frame the charge on the basis of the given facts and write a judgement with reasons on the basis of allegations, evidence and arguments given hereunder, keeping in mind the relevant provisions of the concerned laws. - 40 Marks

Prosecution Case :-

(a) The marriage of V, the daughter of Y and Z, was solemnized with A1 on 13.08.2013. A2 and A3 are respectively the mother and father of A1. V was subjected to cruelty and harassment by the accused on the pretext that she was not only ugly looking but had also not brought sufficient dowry with her. Ultimately, on 07.11.2015 about 5:30 in the evening, her mother-in-law, A2, sprinkled kerosene over her body and set her ablaze by throwing a lit matchstick. As a result, entire body of V was severely burnt. She was first taken by her neighbour B to the Police Station where her report was scribed by Assistant Sub Inspector P. Thereupon, a case under Sections 498-A and 307 read with Section 34 of the Indian Penal Code was registered.

(b) V was immediately sent to Hamidia Hospital, Bhopal where she was admitted for treatment. At 07:10 PM, her dying declaration was recorded by Assistant Sub Inspector P in the hospital only. Thereafter, at 07:40 PM, another dying declaration was documented by the Executive Magistrate M. On the next date only, she succumbed to the burn injuries. Accordingly, the case was converted into the case of murder.

(c) Deputy Superintendent of Police D, after conducting inquest proceedings, in presence of panch witnesses Q, R, S, T and U, sent the dead body for postmortem. Autopsy Surgeon S found 3rd to 4th degree burns on her body and, in his opinion, the cause of V's death was shock due to burn injuries.

(d) Investigating Officer E, in presence of panch witnesses W and X inspected the spot and seized the burnt skin, hair, clothes, etc alongwith the container of kerosene. After completing the investigation, charge-sheet was filed against the accused for the offences punishable under section 498-A, 304-B and 302 read with Section 34 of the Indian Penal Code in the Court of Chief Judicial Magistrate, Bhopal who committed the case to the Court of Session for trial.

Defence Plea **:-**

On being charged with the offences punishable under Sections 498-A, 302 and in the alternative 304-B read with 34 of the Indian Penal Code, all the accused abjured the guilt. According to them, V was burnt in an accident while cooking.

Evidence of prosecution **:-**

(a) Prosecution examined as many as eight witnesses. Amongst them Y and Z respectively mother and father of the deceased, have deposed that ever since her marriage their daughter V was persistently subjected to cruelty and harassment by the accused due to non-fulfillment of demand of Rs. 2,00,000/- (Two Lacs) in cash and a motorcycle as additional dowry, immediately after her marriage.

(b) B, the neighbour of the accused, has stated that on hearing hue and cry when she reached the house of the accused, found V lying in severely burnt condition and in such a situation, she immediately took her in an auto- rickshaw to the hospital.

(c) Assistant Sub Inspector P proved the First Information Report and the dying declaration scribed by him, whereas the Executive Magistrate M also corroborated the fact that in her dying declaration she had disclosed that her mother-in-law had set her on fire after pouring kerosene on her body.

(d) Deputy Superintendent of Police D, Autopsy Surgeon S and the Investigating Officer E corroborated the facts regarding inquest report, postmortem and investigation respectively and panch witness W proved the contents of map and seizure memo prepared at the spot.

Defence Evidence **:-**

The defence has produced two witnesses, namely, D-1 and D-2 in evidence to substantiate the plea that the deceased was all alone in the house at the time of the alleged incident.

Arguments of Prosecutor **:-**

From the evidence on record, all the charges against the accused are proved.

Arguments of accused **:-**

Prosecution evidence is not sufficient to prove any charge beyond reasonable doubt. Moreover, the probability of defence was clearly established.

दिये गये तथ्यों के आधार पर आरोप विरचित करें तथा नीचे दिये गये आक्षेपों, साक्ष्य व तर्कों के आधार पर सकारण निर्णय संबंधित विधि के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लिखिये –

अभियोजन का प्रकरण :–

(अ) **च** एवं **छ** की पुत्री **क** का विवाह अ–1 के साथ दिनांक 13.08.2013 को संपन्न हुआ था। **अ–2** एवं **अ–3** क्रमशः अ–1 के माता–पिता है। **क** को तीनों अभियुक्तगणों द्वारा इस कारण परेशान किया जाता था कि वह न केवल देखने में कुरूप थी बल्कि अपने साथ पर्याप्त दहेज भी नहीं लाई थी। अंततः, दिनांक 07.11.2015 को करीब 5:30 बजे शाम को उसकी सास अ–2 ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डाल दिया और माचिस की एक जलती हुई तीली फेंककर आग लगा दी। परिणामस्वरूप, **क** का पूरा शरीर गंभीर रूप से जल गया था। उसको पड़ोसन **ब** द्वारा सर्वप्रथम थाना ले जाया गया था जहाँ उसकी रिपोर्ट सहायक उप निरीक्षक **प** द्वारा लिखी गई। इसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 498–क एवं 307 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया।

(ब) क को तुरंत हमीदिया अस्पताल, भोपाल ले जाया गया जहाँ उसको उपचार हेतु भर्ती किया गया। शाम 7.10 पर, उसका मृत्युकालिक कथन अस्पताल में ही सहायक उप निरीक्षक **प** द्वारा अभिलिखित किया गया। तत्पश्चात् शाम 7.40 पर, दूसरा मृत्युकालिक कथन कार्यपालिक मजिस्ट्रेट म द्वारा लेखबद्ध किया गया। अगले ही दिन उसकी मृत्यु जलने से उत्पन्न चोटों के कारण हो गई थी। तदनुसार, मामला हत्या के प्रकरण में संपरिवर्तित किया गया।

(स) उप–पुलिस अधीक्षक ड ने, पंच साक्षीगण त, थ, द, ध एवं न के समक्ष मृत्यु समीक्षा के उपरांत मृतिका के शव को परीक्षण के लिए भेजा। शव परीक्षक डॉक्टर स ने मृतिका के शरीर पर तृतीय से चतुर्थ डिग्री तक के जलने के घाव पाये थे और, उसके मत में, क की मृत्यु का कारण जलने के घावों से उत्पन्न सदमा था।

(द) अनुसंधान अधिकारी ई ने, पंच साक्षी ग एवं घ के समक्ष घटना स्थल का निरीक्षण कर, जली हुई त्वचा, बाल, कपड़े आदि के अतिरिक्त मिट्‌टी के तेल की कुप्पी भी जब्त की। अनुसंधान पूर्ण करने के पश्चात्, अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498–क, 304–ब एवं 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपराधों के संबंध में आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिन्होंने प्रकरण को विचारण के लिए सत्र न्यायालय को उपार्पित कर दिया।

<u>प्रतिरक्षा अभिवाक</u> :–

भारतीय दंड संहिता की धारा 498–क, धारा 302 एवं विकल्प में धारा 304–ख सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के आरोप लगाये जाने पर अभियुक्तगण ने दोषिता को अस्वीकार किया। उनके अनुसार क खाना बनाते समय हुई दुर्घटना में जल गई थी।

<u>अभियोजन की साक्ष्य</u> :–

(अ) अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ साक्षीगण का परीक्षण कराया गया, जिनमें से मृतिका के माता–पिता च एवं छ ने अभिसाक्ष्य दिया कि विवाह के तुरंत बाद से ही अतिरिक्त दहेज के रूप में 2,00,000/– (दो लाख) रूपये नगद तथा एक मोटरसाइकिल की मांग की पूर्ति नहीं होने के कारण उनकी पुत्री को अभियुक्तगण द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता था।

(ब) अभियुक्तगण की पड़ोसन ब द्वारा बताया गया कि जब वह हल्ला सुनकर अभियुक्तगण के घर पर पहुंची तो उसने क को गंभीर रूप से जली हुई अवस्था में

पड़ी हुई पाया था और ऐसी स्थिति में वह उसे तुरंत एक ऑटोरिक्शा में अस्पताल ले गयी थी।

(स) सहायक उप निरीक्षक **प** ने उसके द्वारा लिखित प्रथम सूचना प्रतिवेदन एवं मृत्युकालिक कथन को प्रमाणित किया, जबकि कार्यपालिक मजिस्ट्रेट म ने इस तथ्य की संपुष्टि की है कि क ने अपने मृत्युकालिक कथन में यह बताया था कि उसकी सास अ–2 ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी।

(द) उप पुलिस अधीक्षक ड शव परीक्षक डॉक्टर स एवं अनुसंधान अधिकारी ई ने क्रमशः मृत्यु समीक्षा, शवपरीक्षण एवं अनुसंधान से संबंधित तथ्यों को सिद्ध किया एवं पंच साक्षी ग ने नक्शा मौका तथा वहां पर तैयार किये गये जब्ती पत्रक की अंतर्वस्तुओं को सिद्ध किया।

बचाव साक्ष्य :–

बचाव पक्ष ने इस अभिवाक् कि कथित घटना के समय मृतिका घर में अकेली थी, को सिद्ध करने के लिये दो साक्षीगण डी–1 एवं डी–2 को साक्ष्य में प्रस्तुत किया।

अभियोजक के तर्क :–

अभिलेखगत साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध समस्त आरोप प्रमाणित है।

बचाव पक्ष के तर्क :–

अभियोजन साक्ष्य किसी भी आरोप को युक्तिसंगत संदेह से परे सिद्ध करने के लिये पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, बचाव की संभावना स्पष्टतया स्थापित की गई है।

****